सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(18) उ.मा.वि./जि.आ.अध्यक्ष/2024 जयपुर, दिनांकः-03.06.2025

आदेश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 28 उप धारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा श्री ग्यारसी लाल मीना को अधिसूचना क्रमांक एफ 89(46) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022 दिनांक 13.03.2023 द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (द्वितीय) का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री ग्यारसी लाल मीना, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (द्वितीय) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि-

1. श्री मीना द्वारा परिवाद संख्या 1042/2016 अनूप खण्डेलवाल बनाम सेक्विन रीयल स्टेट प्रकरण में बहस अंतिम सुने बिना आदेश हेतु दिनांक 03.10.2023 को बाद में निर्णय एवं आदेशिका लिखकर निर्णय कर दिया गया है, जो कि न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है।
2. श्री मीना द्वारा सदस्य श्रीमती हेमलता अग्रवाल के दिनांक 28.05.2024 को उपस्थित नहीं होने पर भी पत्रावली में कोरम पूरा मानते हुए कार्य सम्पादित किया गया तथा किसी भी पत्रावली में कोरम के अभाव का अंकन नहीं किया गया। दूसरे दिन दिनांक 29.05.2024 को श्रीमती हेमलता अग्रवाल को अपने समक्ष हस्ताक्षर करवाकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है।
3. श्री मीना स्वयं को मिथ्या निरूपित करते हुए जिला न्यायाधीश संवर्ग का होना बताते-प्रदर्शित करते है, इस प्रकार आपके द्वारा पद का दुरूपयोग किया जाता है।
4. श्री मीना कार्यालय समय में बाहर जाते रहते हैं तथा इनके चैम्बर में अनाधिकृत व्यक्ति आते रहते है।
5. श्री मीना द्वारा द्वारा कभी भी कोई निर्णय/आदेश Dictation (श्रुतलेख) देकर नहीं लिखवाया गया। स्वंय कोई निर्णय/आदेश नहीं लिखवाते, कई सारे निर्णय बाहर से आयातित हुए हैं, जो अत्यधिक गंभीर एवं संज्ञेय है।

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री मीना पर जॉच रिपोर्ट में लगाये गये उक्त आरोपों के संबंध में उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया और उन्हे सुना गया।

श्री मीना द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राज्य आयोग से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्य/गवाह से यह स्पष्ट होता है कि श्री मीना पर लगाये गये आरोप पूर्णतया सही हैं और उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया है, जिससे उनका पद पर बने रहना लोक हित में नहीं है।

अत: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 8 में विहित प्रावधान एवं प्रदत्त

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.06.03 14:28:41 IST
Reason: Approved

शक्तियों के आलोक में श्री ग्यारसी लाल मीना को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पद से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन,नई दिल्ली।
10. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त।
13. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. समस्त जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (जिला रसद अधिकारी), राजस्थान।
17. संबंधित ....।
18. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.06.03 14:28:41 IST
Reason: Approved